

कोयला मंत्रालय

मांग संख्या 9

कोयला मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	497.06	...	497.06	640.77	1.55	642.32	617.49	1.55	619.04	920.35	2.20	922.55
<i>वसूलियां</i>	-393.60	...	-393.60	-450.00	...	-450.00	-430.00	...	-430.00	-730.00	...	-730.00
<i>प्राप्तियां</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>103.46</b>	...	<b>103.46</b>	<b>190.77</b>	<b>1.55</b>	<b>192.32</b>	<b>187.49</b>	<b>1.55</b>	<b>189.04</b>	<b>190.35</b>	<b>2.20</b>	<b>192.55</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	31.57	...	31.57	39.24	1.39	40.63	36.56	1.44	38.00	40.08	1.49	41.57
2. सांविधिक निकाय, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय	15.74	...	15.74	27.39	0.16	27.55	29.77	0.11	29.88	26.66	0.71	27.37
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>47.31</b>	...	<b>47.31</b>	<b>66.63</b>	<b>1.55</b>	<b>68.18</b>	<b>66.33</b>	<b>1.55</b>	<b>67.88</b>	<b>66.74</b>	<b>2.20</b>	<b>68.94</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
<b>कोयला और लिग्नाइट</b>												
3. अनुसंधान और विकास	6.94	...	6.94	21.00	...	21.00	18.00	...	18.00	21.00	...	21.00
4. कोयला खानों में संरक्षण, सुरक्षा और अवसंरचना विकास	48.64	...	48.64	92.50	...	92.50	92.50	...	92.50	92.50	...	92.50
5. कोयला और लिग्नाइट की खोज												
5.01 कार्यक्रम घटक	393.60	...	393.60	450.00	...	450.00	430.00	...	430.00	730.00	...	730.00
5.02 राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी) निधि से प्राप्त राशि	-393.60	...	-393.60	-450.00	...	-450.00	-430.00	...	-430.00	-730.00	...	-730.00
<i>निवल</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-कोयला और लिग्नाइट</b>	<b>55.58</b>	...	<b>55.58</b>	<b>113.50</b>	...	<b>113.50</b>	<b>110.50</b>	...	<b>110.50</b>	<b>113.50</b>	...	<b>113.50</b>
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>55.58</b>	...	<b>55.58</b>	<b>113.50</b>	...	<b>113.50</b>	<b>110.50</b>	...	<b>110.50</b>	<b>113.50</b>	...	<b>113.50</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
6. कोयला खान पेंशन स्कीम	0.57	...	0.57	10.64	...	10.64	10.66	...	10.66	10.11	...	10.11
<b>कुल जोड़</b>	<b>103.46</b>	...	<b>103.46</b>	<b>190.77</b>	<b>1.55</b>	<b>192.32</b>	<b>187.49</b>	<b>1.55</b>	<b>189.04</b>	<b>190.35</b>	<b>2.20</b>	<b>192.55</b>

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
1. धर्म, रोजगार और कौशल विकास	0.57	...	0.57	10.64	...	10.64	10.66	...	10.66	10.11	...	10.11
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>0.57</b>	<b>...</b>	<b>0.57</b>	<b>10.64</b>	<b>...</b>	<b>10.64</b>	<b>10.66</b>	<b>...</b>	<b>10.66</b>	<b>10.11</b>	<b>...</b>	<b>10.11</b>
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
2. कोयला और लिग्नाइट	71.32	...	71.32	129.54	...	129.54	129.22	...	129.22	128.81	...	128.81
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	31.57	...	31.57	39.24	...	39.24	36.56	...	36.56	40.08	...	40.08
4. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	1.55	1.55	...	1.55	1.55	...	2.20	2.20
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>102.89</b>	<b>...</b>	<b>102.89</b>	<b>168.78</b>	<b>1.55</b>	<b>170.33</b>	<b>165.78</b>	<b>1.55</b>	<b>167.33</b>	<b>168.89</b>	<b>2.20</b>	<b>171.09</b>
<b>अन्य</b>												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	11.35	...	11.35	11.05	...	11.05	11.35	...	11.35
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>11.35</b>	<b>...</b>	<b>11.35</b>	<b>11.05</b>	<b>...</b>	<b>11.05</b>	<b>11.35</b>	<b>...</b>	<b>11.35</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>103.46</b>	<b>...</b>	<b>103.46</b>	<b>190.77</b>	<b>1.55</b>	<b>192.32</b>	<b>187.49</b>	<b>1.55</b>	<b>189.04</b>	<b>190.35</b>	<b>2.20</b>	<b>192.55</b>

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>												
1. एनएलसी इंडिया लिमिटेड	...	3307.78	3307.78	...	2880.01	2880.01	...	2880.01	2880.01	...	2429.00	2429.00
2. कोल इंडिया लिमिटेड	...	18619.27	18619.27	...	16500.00	16500.00	...	16500.00	16500.00	...	15500.00	15500.00
3. एससीसीएल	...	1473.17	1473.17	...	1650.00	1650.00	...	1650.00	1650.00	...	1600.00	1600.00
<b>जोड़</b>	<b>...</b>	<b>23400.22</b>	<b>23400.22</b>	<b>...</b>	<b>21030.01</b>	<b>21030.01</b>	<b>...</b>	<b>21030.01</b>	<b>21030.01</b>	<b>...</b>	<b>19529.00</b>	<b>19529.00</b>

टिप्पणी: सं. अ. 2023-24 में मांग के लिए कुल निवल आवंटन 619.04 करोड़ रुपए (189.04 करोड़ रुपये जमा 430 करोड़ रुपये) है और बजट अनुमान 2024-25 में मांग के लिए कुल निवल आवंटन 922.55 करोड़ रुपए (192.55 करोड़ रुपए जमा 730 करोड़ रुपए) है। सं.अ. 2023-24 और ब.अ. 2024-25 में क्रमशः 430 करोड़ रुपए और 730 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (एनएमईटी) निधि में उपलब्ध शेष राशियों से पूरी की जा रही है। इस राशि का उपयोग कोयला और लिग्नाइट अन्वेषण योजना के लिए किया जाएगा।

1. **सचिवालय:** इसमें कोयला मंत्रालय के सचिवालय के स्थापना व्यय के लिए व्यवस्था की गई है।

2. **सांविधिक निकाय, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय:** यह प्रावधान मनोनीत प्राधिकार एवं कोयला नियंत्रण संगठन से संबंधित स्थापना व्यय के लिए है।

3. **अनुसंधान और विकास:** कोयला क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों के लिए प्रावधान है। मुख्य जोर कोयला खदानों में सुरक्षा के लिए स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है।

4. **कोयला खानों में संरक्षण, सुरक्षा और अवसंरचना विकास:** यह प्रावधान सुरक्षा कार्यों और सुरक्षा सुधार के माध्यम से कोयले के संरक्षण के लिए है। इसमें कोलफील्ड क्षेत्रों में सड़क और रेल परिवहन अवसंरचना का विकास भी शामिल है और कोलफील्ड क्षेत्रों में भूमि सुधार और धंसाव नियंत्रण सहित पर्यावरण संरक्षण उपाय करने का प्रावधान है।

5. **कोयला और लिग्नाइट का अन्वेषण:** कोयले की मांग में अधिक वृद्धि को पूरा करने के लिए कोयले की उपलब्धता का आंकलन करने के लिए प्रारंभिक ड्रिलिंग करने के लिए प्रावधान है। इसमें गैर-सीआईएल कोल माइनिंग ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग हेतु प्रावधान भी शामिल है ताकि इससे तैयार की गई भू-गर्भीय रिपोर्ट कोयला खनन के संबंध में निवेश करने संबंधी निर्णय लेने में संभावित निवेशकों को सहायता करेगी और खनन योजना बनाने में कम समय लगेगा। इससे कोयला खनन उद्योग में निजी निवेशकों को प्रोत्साहन मिलेगा। यह योजना सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टिट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) द्वारा कार्यान्वित की जाती है। निधियां एनएमईटी फंड से पूरी की जाती हैं।

6. **कोयला खान पेंशन स्कीम:** कोयला खान पेंशन योजना 1998 के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार कर्मचारी के वेतन का एक और दो तिहाई प्रतिशत योगदान करती है बशर्ते कि एक कर्मचारी के मामले में जिसका वेतन 1600/- रुपए प्रति माह से अधिक है। केंद्र सरकार द्वारा देय अंशदान रुपये के वेतन पर देय अधिकतम राशि केवल 1600/- रुपए प्रति माह के बराबर होगी। तदनुसार प्रावधान किया गया है।